

प्रेस नोट दि0-21.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात-

लूट के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को लूट के 4,650/- रुपये नगद के साथ किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत रुहड़ा मोहल्ला कटरा मैदनीगंज में थोक पनसारी की दुकान से दिनांक- 20.05.2025 को 03 अज्ञात व्यक्ति राइडर मोटर साइकिल से दुकान पर आये, और तमन्चा दिखाकर लूट करने के प्रकरण में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 117/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम रायडर मोटर साइकिल सवार 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 21.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री अतुल तिवारी, उ0नि0 वरुण कुमार सिंह, हे0का0 राम बचन, का0 आशुतोष तिवारी, का0 किशन पाल, का0 विजय बहादुर, कां0 विश्वदीप, कां0 किशन यादव, कां0 हरदीप, का0 राहुल सिंह, का0 विपिन कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 117/2025 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त तनवीर आलम पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा मैदनीगंज से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त तनवीर ने पूछताछ में बताया कि मैं और मेरे साथी विशेष सोनी जो भगवतगंज का रहने वाला है व आसिफ नि0 कटरा मैदनीगंज तथा विनय निवासी जोगापुर प्रतापगढ़ कई दिनों से राजेश लखमानी की कन्फेक्शनरी एवं बेकरी की दुकान पर रेकी कर रहे थे। दिनांक 20.05.2025 को दिन में दोपहर करीब 03.15 बजे में विशेष सोनी तथा आसिफ राइडर मोटर साइकिल लाल रंग पर बैठकर राजेश लखमानी की दुकान पर पहुंचे तथा विनय को गली में पुलिस की रेकी के लिए लगाया गया था। राजेश लखमानी को तमन्चा दिखाया और मेरे साथी विशेष सोनी व आसिफ ने पैसे से भरी पेट्टी उससे छीन लिया। वो तीनों लोग राइडर मो0साइकिल पर बैठकर भाग गये। सुनसान जगह पर जाकर पेट्टी की ताला तोड़कर देखा तो उसमें 30 हजार रु0 मिले जिसे आपस में हम चारों लोगों ने बांट लिया। पेट्टी को राह चलते कबाड़ी को दे दिया था। मेरे हिस्से में जो रुपये आये थे कुछ रुपये खाने पीने में खर्च हो गये शेष रकम 4650 रुपये यह वही है। और मेरे साथी कहां पर है इस समय मैं नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तनवीर आलम पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 117/2025 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

01. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2), 121(1), 132 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा बरामद 4650/- रू0 लूट के।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री अतुल तिवारी, उ0नि0 वरुण कुमार सिंह, हे0का0 राम बचन, का0 आशुतोष तिवारी, का0 किशन पाल, का0 विजय बहादुर, कां0 विश्वदीप, कां0 किशन यादव, कां0 हरदीप, का0 राहुल सिंह, का0 विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात-

पुलिस टीम के कार्य सरकार में बाधा, अभद्रता व जानलेवा हमला करने वाले कुल 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

रुहड़ा मोहला कटरा मेदनीगंज में हुई लूट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के कार्य सरकार में बाधा, अभद्रता व जानलेवा हमला करने वाले लूट का 01 अभियुक्त व अन्य 04 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा मेदनीगंज से 05 अभियुक्तों जो पुलिस टीम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत रुहड़ा मोहल्ला कटरा मेदनीगंज में थोक पनसारी की दुकान से तमन्चा दिखाकर लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने दौरान अभियुक्त के परिजनों द्वारा पुलिस टीम के साथ कार्य सरकार में बाधा, अभद्रता व जानलेवा हमला किया गया तथा अभियुक्त तनवीर द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 118/2025 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2), 121(1), 132 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 07 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 21.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री अतुल तिवारी, उ0नि0 वरुण कुमार सिंह, हे0का0 राम बचन, का0 आशुतोष तिवारी, का0 किशन पाल, का0 विजय बहादुर, कां0 विश्वदीप, कां0 किशन यादव, कां0 हरदीप, का0 राहुल सिंह, का0 विपिन कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 118/2025 अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2), 121(1), 132 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 05 अभियुक्तों, 01. तनवीर आलम पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 25 वर्ष, 02. फरीदुद्दीन पुत्र महमूद अख्तर, 03. इफ्तेखार अहमद पुत्र फरीदुद्दीन, 04. इत्तेखाव अहमद पुत्र फरीदुद्दीन, 05. आमीर पुत्र इरफानुल्लाह निंगण कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ को अभियुक्त तनवीर आलम पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को कटरा मेदनीगंज से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. तनवीर आलम पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
02. फरीदुद्दीन पुत्र महमूद अख्तर उम्र 57 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
03. इफ्तेखार अहमद पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 22 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
04. इत्तेखाव अहमद पुत्र फरीदुद्दीन उम्र 22 निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
05. आमीर पुत्र इरफानुल्लाह उम्र 22 वर्ष निवासी कटरामेदनीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री अखिलेश प्रताप, उ0नि0 श्री अतुल तिवारी, उ0नि0 वरुण कुमार सिंह, हे0का0 राम बचन,का0 आशुतोष तिवारी, का0 किशन पाल, का0 विजय बहादुर, कां0 विश्वदीप, कां0 किशन यादव, कां0 हरदीप, का0 राहुल सिंह, का0 विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना दिलीपपुर-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान, अवैध तमन्चे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर वायरल करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमन्चा बरामद।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत कोठियारी के पास अन्धेरी बाग से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, कां0 स्वामीनाथ, कां0 निर्दोष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अभिषेक कुमार सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोठियारी के पास अन्धेरी बाग से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो वाला 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 83/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अभिषेक कुमार सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, कां0 स्वामीनाथ, कां0 निर्दोष कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान, अवैध तमन्चा व कारतूस के 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गड़ईचकदईया लिंक मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जय चन्द्र भारती के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह कां0 विशाल, कां0 अतुल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रोहित वर्मा पुत्र रामपियारे वर्मा निवासी ग्राम कैथापुर थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोतवाली नगर

के गडईचकदईया लिंक मार्ग से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा शादी समारोह में कहासुनी के दौरान अवैध तमन्चा लहराया गया था जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया ।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 216/2025 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- रोहित वर्मा पुत्र रामपियारे वर्मा निवासी ग्राम कैथापुर थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 32 बोर व जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह कां0 विशाल, कां0 अतुल सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मारपीट हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र रानीगंज के साबिर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम आमापुर बेर्ग में वादी की पत्नी को जमीनी विवाद में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में दिनांक-17.05.2025 को मु0अ0सं0 139 /2025 धारा 191(2) , 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 333, 109(1) बीएनएस बनाम 05 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह कां० योगेन्द्र सिंह व कां० आशीष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रामजीयावन यादव पुत्र नोखई यादव निवासी ग्राम मधवापुर आमापुर बेर्ग थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के साबिर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामजीयावन यादव पुत्र नोखई यादव निवासी ग्राम मधवापुर आमापुर बेर्ग थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह कां० योगेन्द्र सिंह व कां० आशीष तिवारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 विजय नारायण यादव मय हरमहा का0 विकास बाबू व हे0का0 अशरफ अली के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की

सूचना पर मु०नं० 1164/19 अ०सं० 499/18 धारा 147, 504, 506, 427 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित 03 वारंटी अभियुक्तों 01. इमरान पुत्र नसीम उम्र करीब 26 वर्ष 2. फैजान पुत्र नसीम उम्र करीब 28 वर्ष 3. सादिक उर्फ सोनू पुत्र सब्बीर उम्र करीब 32 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम दरियापुर पावर हाउस थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. इमरान पुत्र नसीम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर पावर हाउस थाना रानीगंज प्रतापगढ़
2. फैजान पुत्र नसीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर पावर हाउस थाना रानीगंज प्रतापगढ़
3. सादिक उर्फ सोनू पुत्र सब्बीर उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर पावर हाउस थाना रानीगंज प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ०नि० राकेश चौरसिया मय हमराह उ०नि० विजय नरायण यादव मय हरमहा का० विकाश बाबू व हे०का० अशरफ अली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ०नि० शहंशाह खान मय हमराह हे०का० अजाज खान के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०स० 143/ 24 धारा 272, 353, 332, 427 भादवि व 60 (20) आबकारी अधि० से संबंधित 01 वारंटी रूपेश उर्फ सुरज पुत्र रामआधार निवासी रतिगरपुर लक्ष्मणपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के मिश्रपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रूपेश उर्फ सुरज पुत्र रामआधार निवासी रतिगरपुर लक्ष्मणपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शहंशाह खान मय हमराह हे०का० अजाज खान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० विवेक सिंह, कां० गणेश यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०नं० 5824/2023 मु०अ०सं० 17/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी से संबंधित 01 वारंटी विजय कुमार सिंह पुत्र राकेश बहादुर सिंह निवासी पूरे भूप सिंह का पुरवा ऐंटू थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के बड़ेरा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विजय कुमार सिंह पुत्र राकेश बहादुर सिंह निवासी पूरे भूप सिंह का पुरवा ऐंटू थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० विवेक सिंह, कां० गणेश यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।